

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामकिशोर v/s युच्करजन

तारीख हुक्म

838
2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

19.9.25

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किये जाने पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया है, जिससे अपीलार्थी अपनी यह अपील अब आगे चलाना नहीं चाहता है एवं अपील विद्रो कर खारिज करवाना चाहता है। अतः अपील विद्रो कर खारिज फरमायी जावे।

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर यह अपील आगे नहीं चलाने एवं अपील विद्रो कर खारिज दिये जाने की इस्तदुआ की गयी है। अतः अपील अपीलार्थी विद्रो किये जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दम्तर हो।



राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



रामकिशोर

Identified to
Appellant.

Manish Khandelwal
Advocate

19/09/2025